

भारतीय नियम
८५/१०२/१७

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवामें,

- १- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- २- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-१

लखनऊ: दिनांक: ०५ फरवरी, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अध्याय ४ के अन्तर्गत निहित बिन्दु ४.१० (प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क) के अनुपालन के सम्बन्ध में
महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-१, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78- १-2017-87आईटी/2014 दिनांक २१ दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ०५ वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक २२ दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

२- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन" उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमत्य होंगे।

३- राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए ३१ मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रु 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमत्य होंगे।

४- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अध्याय ६ के अन्तर्गत शब्दावली ई०एस०डी०एम० उद्योग आदि की परिभाषा अंगीकृत की जाती है:-

६.१ ई.एस.डी.एम. उद्योग

ई.एस.डी.एम. - इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत निम्नवत् मुख्य घटक सम्मिलित, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:

इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद

- क मोबाइल उपकरण: मोबाइल हैण्डसेट।
ख दूरसंचार उपकरण: माडेम, राइटर्स, स्विचेज इत्यादि।
ग उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स: टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टाप बाक्सेज इत्यादि।
घ आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्स: विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि।
च औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स: पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाईटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि।
छ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयर: डेस्कटाप, नोटबुक, टैबलेट, मानीटर्स, मेमोरी कार्ड इत्यादि।
ज अन्य इलेक्ट्रानिक्स: एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण।

इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स

- अ एक्टिव कम्पोनेन्ट्स: ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स तथा सी.आर.टी।
ब पैसिव कम्पोनेन्ट्स: रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स।

१- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहींहै।

२- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> सेसत्यापितकीजासकतीहै।

स इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्स: पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि।

सेमीकंडक्टर डिजाइन

- अ एम्बेडेड साफ्टवेयर डेवलपमेण्ट।
ब वीएलएसआई डिजाइन।
स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन।

इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)

मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण।

नोट: इस अनुच्छेद में उल्लिखित उत्पादों के अतिरिक्त, भारत सरकार की एम-सिप्स गाइडलाइन्स में शामिल उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।

फैब इकाई

फैब इकाई वह सेमीकंडक्टर संरचना संयंत्र है, जहां इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ई.एम.सी)

ई.एम.सी. का तात्पर्य भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 की ई.एम.सी. योजना के अन्तर्गत अनुमोदित ई.एम.सी. से है जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे।

ये क्लस्टर्स उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी शृंखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब-असेम्बलीज, सामग्री इत्यादि के विनिर्माण हेतु होंगे।

बैंक/ वित्तीय संस्थान

समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आयेंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

राज्य अधिकरण।

- विकासप्राधिकरण।
- आवास परिषद।
- उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम।
- सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था।

5. उपरोक्त के क्रम में अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपकरणों में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागया है, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहीं है।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापितकीजासकती है।

संख्या- १५६ (1)/७८-१-२०१८/तदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र०।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6. कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ०प्र० शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

02/02/18
02/02/18
02/02/18

आज्ञाये
राज बहादुर
(राज बहादुर)
उप सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकलीजारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रभागिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।